व्हाट्सऐप/ई–मेल द्वारा

कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,खनन प्रभाग–रामनगर(नैनीताल)।
e-mail : prabharikhanan37@gmail.com PH:- 05947-254537

पत्रांक-2135 / दाबका नदी पुर्नप्रस्ताव/ दिनांक 07 जनवरी 2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

विषय– जनपद नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी (भाग–1) के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में आपत्ति के सम्बन्ध में। FP/UK/MIN/147953/2021.

सन्दर्भः– वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र सं.0–File No-8-61/1999-FC(Pt.V) दिनांक 30 दिसम्बर 2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक–3193/12–1/ दिनांक 06.01.2023।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक–File No-8-61/1999-FC(Pt.V) दिनांक 30 दिसम्बर 2022 द्वारा जनपद नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी (भाग–1) के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर सूचना मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तद्नुसार परिवेश पोर्टल में उक्त सूचनाओं को अपलोड करने की कृपा करेंगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

O/C

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक– 2135/ दाबका नदी पुर्नप्रस्ताव /उक्त दिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में मय संलग्न सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 वन विकास निगम, देहरादून।
2. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार–देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण , इन्द्रानगर देहरादून।
4. महा प्रबन्धक (कु0मण्डल), उ0 वन विकास निगम, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. वन संरक्षक, (पश्चिमी वृत्त), उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उ0 वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

9/1/2023
तराई प० वन प्रभाग, रामनगर

Camp Letter 2022-23

CamScanner
Scanned with CamScanner

वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या–8–61 /1999–F.C. (Pt.V) दिनांक–30–दिसम्बर–2022 द्वारा लगाई आपत्तियों का प्रतिउत्तरः–

DABKA River Proposal no-FP/UK/MINING/147953/2021

क्र0 सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years, whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1573/FP /UK/MIN /147953/2021/ दिनांक 30 सितम्बर 2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। दाबका नदी के भूतत्व एंव खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति आप को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षो की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति सलंग्न–1) उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षो हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है, साथ ही यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं0–औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 सं0–2171/VII-A-1/2021/22ख/13 देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2022 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षो हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति सलंग्न–2)
2	Cost benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–03)
3	The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Guidelines- January 2020.	खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला–नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं0–1319/खनन 2022–23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0–870/भू0ख0नि0ई0/खनन ई–रवन्ना/2022–23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला–नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR), वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है,तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है। (संलग्नक–04)
4	The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttrakhand constituted vide Government of Uttrakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year. may be provided.	भारत सरकार की पत्र सं0–8–61/1999–F.C. (Pt.V) दिनांक–15 फरवरी–2013 के बिन्दु सं0–02 (V) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं014-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. dated 29.01.2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं0–02 (V) में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है गत वर्षो की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति सलग्न है। (संलग्नक–05, 06, 07, 08, 09, एवं 10)

प्रभागीय प्रबन्धक खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

Scanned with CamScanner